मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

(1)

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

दौसा .... बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व मु० नं० 07/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
?/18	श्री कैलाश गुर्जर एड० ने दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी भेजी जाकर दि० 6-2-19 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	
6/2/19	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 12-3-19 को पेश हो।	
12/3/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अप्रार्थी सिकराय सरकार उपस्थित। वकील जमानत की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 15-3-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/3/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट दिनांक 27/06/18 के आधार पर प्रकरण दुरुस्ती किए जाने योग्य है तथा प्रार्थी द्वारा SBBJ बैंक शाखा सिकराय से ऋण नहीं लिया बल्कि प्रार्थी ने दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सिकराय से ऋण लिया है लगातार - -	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम ......हरसुख बनाम सरकार......	नंबर व अहकाम हुक्म में जा...
	मुकदमा नं0 .... निर्णय दि0.............	

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नंबर 45, 69, 217, 219 246, 247, 248, 249 कुल रकबा 10.91 है। वाकेराना चाकसू तह० सिकराय के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी [illegible] हरसुख के हिस्से की भूमि पर दर्ज रहिन SBBJ बैंक शाखा सिकराय के स्थान SBBJ शाखा सिकराय बैंक का नाम हटाकर इसके स्थान पर सही बैंक का नाम दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सिकराय दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। यदि प्रार्थी ने दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सिकराय से उक्त भूमि पर लिया गया ऋण चुकता जमा करा दिया हो तो इसका दौसा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सिकराय से अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) प्राप्त कर नियमानुसार रहन मुक्त करा सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15.3.19

आकलन अधिकारी
सिकराय [illegible]